कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2478 /11–सी–FP/UP/Road/121197/2021, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 01 ,2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 सं0–51.910 से 163.40 तक जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्षों/पौधों एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधें अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/831, दिनांक 17.01.2023 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी का पत्रांक–2159/33–1, दिनांक 01.02.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी के उपरोक्त पत्रांक–2159/33–1, दिनांक 01.02.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2478 /11–सी–FP/UP/Road/121197/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

1/2/23
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-136

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक– २१५१ /33–1 / दिनांक, झांसी, फरवरी 01, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि0मी0 सं0–51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या– (FP/UP/Road/121197/2021) के संबध में।

सदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8वी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/031, दिनांक 17.01.2023।

2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 2582/14-1, (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 20.01.2023।

3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक– 2097/13–1, दिनांक 31.01.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, ललितपुर ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2023 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को प्रेषित की गई है। जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराई है। जो निम्न प्रकार है :–

आपत्ति	निराकरण
1- The report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reson that responsibility for failure of plantation cannot be fixed due to lapes of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cofent All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsibility and responsibility needs to be fixed.	उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर द्वारा असफल वृक्षारोपण की जांच कर रिपोर्ट पत्रांक– 211/26–1, दिनांक 04.11.2022 से संदर्भित परियोजना में उक्त स्थलों की अवनत वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। दोनो प्रस्तायित DFL क्षेत्र (पवा एवं शाहपुर) में वृक्षारोपण मनरेगा योजना के अन्तर्गत हुआ था। उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2022 में अवगत कराया गया है कि, किये गये वृक्षारोपण में 12–14 वर्षो का समय व्यतीत हो गया है एवं मौके पर उक्त स्थलों पर 10 प्रतिशत पौधे पाये गये है। अतः वृक्षारोपण स्थापना एवं असफल पाये जाने की समयावधि में तैनात रहे कार्मिको के नाम एवं पदनाम चिन्हित कर लिये गये है तथा वृक्षारोपणों की असफलता के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण/पक्ष प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर विहित शासकीय प्रक्रिया अनुसार असफल वृक्षारोपण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
2- The sites were under plantation working circle of Working Plan for the period of 2007-2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.	वर्तमान प्रचलित कार्य योजना (2019–20 से 2028–29 तक) में उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित है।

अतः लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

Jun 2022 Still 2022

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या–_____/समदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झांसी।
2. मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन, उ0प्र0 मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, ललितपुर।
6. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, गाजियाबाद।
7. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, मेरठ।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

पत्रांकः- 2097 /13-1 ललितपुर दिनांकः- 31 जनवरी/2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः- चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 स0-51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/221/2021/ एफ0सी0/831, दिनांक 17.01.2023 एवं आपका पत्रांक- 2582/14-1, (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ पेषित है :-

आपत्ति	निराकरण
1- The report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reson that responsibility for failure of plantation cannot be fixed due to lapes of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cofent. All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsibility and responsibility needs to be fixed.	उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर द्वारा असफल वृक्षारोपण की जांच कर रिपोर्ट पत्रांक- 211/26-1, दिनांक 04.11.2022 से संदर्भित परियोजना में उक्त स्थलों की अवनत वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। दोनो प्रस्तावित DFL क्षेत्र (पवा एवं शाहपुर) में वृक्षारोपण मनरेगा योजना के अन्तर्गत हुआ था। उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2022 में अवगत कराया गया है कि, किये गये वृक्षारोपण में 12-14 वर्षो का समय व्यतीत हो गया है एवं मौके पर उक्त स्थलों पर 10 प्रतिशत पौधे पाये गये है। अतः वृक्षारोपण स्थापना एवं असफल पाये जाने की समयावधि में तैनात रहे कार्मिको के नाम एवं पदनाम चिन्हित कर लिये गये है तथा वृक्षारोपणों की असफलता के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण/पक्ष प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर विहित शासकीय प्रक्रिया अनुसार असफल वृक्षारोपण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
2- The sites were under plantation working circle of Working Plan for the period of 2007-2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.	वर्तमान प्रचलित कार्य योजना (2019-20 से 2028-29 तक) में उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित है।

भवदीय,
31/01/2023
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

I:\ANKIT\Settelement\Kawadiya Marg

Scanned with OKEN Scanner